

राजस्थान सरकार




Government of India

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक : 68/311-12

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम शिक्षा समिति का जिला कुश्वाहा राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 राजस्थान अधिनियम-3, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।



यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 24/3/58 माह जुलाई सन् दो हजार 58 को कुश्वाहा में दिया गया।

रजिस्ट्रार
संस्थाएं, झुन्झुनू

(Signature)
सचिव

श्री श्याम शिक्षा समिति
नांगल उदयपुरवाटी

सचिव
श्री श्याम शिक्षा समिति
कोट. पं. न. उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)